

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की दिनांक २१.२.९५ को सम्पन्न हुई वर्ष १९९५ की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक २१.२.९५ की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे-

- | | | |
|-----|--|---------|
| १. | सर्वश्री ब्रजेन्द्र सहाय,
अध्यक्ष/मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन । | अध्यक्ष |
| २. | श्री विजय शर्मा,
सचिव आवास, उ०प्र०शासन। | सदस्य |
| ३. | श्री हरीश चन्द्र,
आवास आयुक्त,
उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद। | सदस्य |
| ४. | सुश्री आराधना जौहरी, विशेष सचिव, वित्त
(प्रमुख सचिव, वित्त, उ०प्र०शासन के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| ५. | श्री आर०एस०निगम, विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग,
(प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ०प्र०शासन के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| ६. | श्री आर०के०दास गुप्ता,
(मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| ७. | श्री एस०के०वर्मा,
मुख्य अभियन्ता,
उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| ८. | श्री आशुतोष त्रिपाठी,
मुख्य अभियन्ता,
(प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०जल निगम के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| ९. | डा०आर०एन०गर्ग,
साइंटिस्ट,
(निदेशक, सी०बी०आर०आई०रूड़की के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| १०. | श्री विनय कुमार श्रीवास्तव,
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव | सचिव |

विशेष उपाय के रूप में-

१. श्री ए०के०पचौरी, मुख्य वास्तुविद नियोजक,
२. श्री आर०के०श्रीवास्तव, वित्त निष्पन्नक एवं मुख्य लेखाधिकारी

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मत् से निम्नवत् निर्णय लिया गया-

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
१.	परिषद की प्रथम बैठक दिनांक १९.११.९४की कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्रथम/(१)/९५	पुष्टि की गयी ।

9

१	२	३	४
२-	परिषद की प्रथम बैठक दिनांक १९.११.९४ का अनुपालन आख्य।	प्रथम/(२)/९५	अवलोकित की गई।
३-	भाण्डेय पुर योजना वाराणसी में स्व०वि०पो० परियोजना-९४ ए के अन्तर्गत ०१-एस (२०/३४ प्रकार) के ८ नग फिनिश एवं २९ नग सेमी फिनिश भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(३)/९५	अवलोकित की गयी।
४.	राजाजी पुरम योजना लखनऊ में २०सूत्रेय कार्यक्रम के अन्तर्गत ५०नग दु०आ०वर्ग, सेमी फिनिश(२०/३४) प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(४)/९५	अवलोकित की गयी ।
५.	जी०टी०वी०नगर योजना इलाहाबाद में यूनिटी पब्लिक स्कूल इलाहाबाद के पक्ष में स्कूल भूखण्ड संख्या ए क्षेत्रफल(४०) वर्ग मी० आवंटित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(५)/९५	अवलोकित की गयी
६.	परिषद की इंदिरानगर योजना लखनऊ के सेक्टर-१० में अभिनव शिक्षण संस्था के पक्ष में शैक्षिक प्रयोग हेतु भूमि देने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(६)/९५	अवलोकित की गयी।
७.	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण।	प्रथम/(७)/९५	अवलोकित की गयी ।
८.	परिषद की सिविल लाइन्स योजना बरेली में मध्यम आय वर्ग का भवन श्री शहनशाह सुल्तान को आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(८)/९५	अवलोकित की गयी ।
९.	परिषद की राजा जी पुरम योजना लखनऊ में समविष्ट ग्राम जफरपुर उर्फ रूकनीपुर के खसरा संख्या ३९,७१,७२ व ९० की भूमि के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(९)/९५	अवलोकित की गयी।
१०.	परिषद में सी०पी०एफ०योजना के स्थान पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेजुटी योजना को लागू किया जाना ।	प्रथम/(१०)/९५	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । और यह निर्णय लिया गया कि आदेश जारी करने के पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
११.	संशोधन एवं सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में यू०पी०डेस्कॉ द्वारा प्रेषित फिजीविलिटी रिपोर्ट को परिषद में लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(११)/९५	वापस लिया गया।
१२.	सहकारी क्षेत्र की सहकारी आवास समितियों के भूशिलान्यास मानचित्र पर उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद द्वारा स्थानीय प्रचलित सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी वैधता प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना ।	प्रथम/(१२)/९५	सचिव आवास, आवास आकृत, मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक तथा मुरादाबाद, मेरठ एवं बनारस विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों का समिति इस प्रस्ताव का परीक्षण करेगी एवं परीक्षण में पर्याप्त आवास समिति के प्रतिनिधियों को

१	२	३	४
१३.	मंडोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-४ भाग-१, मुरादाबाद में समीपवर्ती खसरा संख्या ३२४ में परिषद द्वारा अधिग्रहीत की गयी श्री कृष्ण कुमार सिंह चौहान की भूमि के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१३)/९५	अनुमोदित किया गया।
१४.	परिषद की रामपुर योजना संख्या-१ सिविल लाइन्स की भूमि के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१४)/९५	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
१५.	परिषद की इंदरानगर प्रथम विस्तार योजना में स्थित ग्राम इस्माइलखान लखनऊ की भूमि खसरा संख्या-३० रकबा १ विस्वा भूमि लगभग १४०० वर्गफीट को मो०फाँकिर सिद्दीकी के पक्ष में आवंटित करने विषयक।	प्रथम/(१५)/९५	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६.	परिषद की लोहिया नगर विस्तार योजना लखनऊ के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१६)/९५	प्रस्ताव वापस लिया गया।
१७.	परिषद की इंदरानगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-२३ में कानपुर नागरिक स्कूल सोसाइटी को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१७)/९५	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१८.	राजाजीपुरम योजना लखनऊ में उच्च आय वर्ग भवन संख्या सी-१६०१ के टण्ड व्याज के स्थान पर साधारण व्याज लेने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१८)/९५	अस्वीकृत किया गया।
१९.	परिषद की सिविल लाइन्स योजना बरेली में मध्यम आय वर्ग का भवन श्रीमती करौलिन सिंह को आवंटित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१९)/९५	अस्वीकृत किया गया।
२०.	भवन/भूखण्ड के फंजीकरण एवं आवंटन को एक बार हस्तान्तरित करने का अधिकार आवंटि को अन्य व्यक्ति के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(२०)/९५	अस्वीकृत किया गया।
२१.	श्री रामपाल सिंह, पूर्व मंत्री को बेतियाहाता, गोरखपुर में आवंटित भूखण्ड संख्या ए-२४ के साथ लगे व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी०पी०-२५ आवंटित करने के सम्बन्ध में मूल्य का निर्धारण।	प्रथम/(२१)/९५	रु० ४२००/-प्रतिवर्गमी० की दर से प्रश्नगत सम्पत्ति में निस्तारण हेतु सील्ड टेण्डर मंगकर निस्तारण का प्रयत्न किया जाय। इस टेण्डर में जैसोभी स्थिति हो उससे परिषद को पुनः अवगत कराया जाय।
२२.	श्री चन्द्रपाल सिंह अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में भवन संख्या सी-३०४ इंदरानगर लखनऊ को नकद ऋण प्रदाता पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(२२)/९५	अस्वीकृत किया गया।

	२	३	४
१०.	मिर्जापुर की डोमरौली योजना में शिक्षण संस्था तथा गुरु नानक जूनियर हाईस्कूल को भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में	प्रथम/(२३)/९५	अनुमोदित किया गया ।
११.	परिषद की जी०टी०वी०नगर इलाहाबाद के सी ब्लॉक में शिक्षण संस्थाओं हेतु उपलब्ध कुल भूखण्ड डा० फरीदी मेमोरियल संस्था को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(२४)/९५	अनुमोदित किया गया ।
१२.	चन्द्रशेखर नगर(महदौरी) योजना इलाहाबाद में एम०एल०कान्वेन्ट हाईस्कूल के पक्ष में स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल १५५९ वर्गमी० आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(२५)/९५	अनुमोदित किया गया ।
२६.	कार्य प्रभारित अधिष्ठान में रिक्त पदों को प्रेन्नति से भरे जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(२६)/९५	प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
२७.	परिषद के कार्यक्षेत्र एवं बड़े हुये कार्यकलापों पर प्रणवी नियोजन एवं सुनि-योजित कार्यक्रम हेतु तीन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-२ एवं तीन अधीक्षण अभियन्ताओं के पदों का सृजन ।	प्रथम/(२७)/९५	आवास सचिव, आवास प्रायुक्त एवं प्रबन्ध निदेशक, जल-निगम को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया ।
२८.	गजियबाद में वसुन्धरा योजना में स्थापित कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।	प.थम/(२८)/९५	अनुमोदित किया गया ।
२९.	शोध भत्ता की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में ।	प्रथम/(२९)/९५	अनुमोदित किया गया ।
३०.	हंस यमुना योजना, आगरा के प्रथम एवं द्वितीय हडको परियोजना के अन्तर्गत निर्मित २०२४ भवनों में से २०० अल्प आय वर्ग के एल०ए०-७६ प्रकार के भवनों में व्याप्त अवरतओं के सम्बन्ध में।	प्रथम/(३०)/९५	<p>(१) प्रश्नगत भवनों का तुरन्त निस्तारण करने का निर्णय लिया गया ।</p> <p>(२) पर्यवेक्षण की कमी एवं लापरवाही केलिये तत्कालीन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को सैंसर्ड प्रविष्टि देने का निर्णय लिया गया ।</p> <p>(३) यह निर्देश दिये गये कि अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय ।</p> <p>(४) उपरोक्त निर्देशों के साथ इस जाँच को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।</p>
३१.	परिषद के अभियन्ताओं को शासन के अभियन्ताओं के समान समयबद्ध वेतनमान व चयन वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(३१)/९५	सार्वजनिक उद्यम विभाग को संदर्भित किया गया।
३२.	श्री आर०के०वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु त्थगपत्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(३२)/९५	अनुमोदित किया गया ।

१	२	३	४
---	---	---	---

२३. श्री कमल कुमार अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-२३, बरेली को चिकित्सा अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में। प्रथम(३३)/९५ अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से २ अन्य प्रकरण रखे गये थे जो क्रमशः निम्न प्रकार हैं-

२४. नये जिला मुख्यालय केन्द्रो हेतु आयोजित वास्तुविशेष डिजाइन प्रतियोगिता के सम्बन्ध में। प्रथम/(३४)/९५ अनुमोदित किया गया।

२५. पाण्डेय योजना, वाराणसी में स्वयं वित्त पोषित परियोजना-१४ए के अन्तर्गत ०२-एस०(२५/५७) प्रकार के १४२ नग फिनिश एवम् २८५ नग सेमीफिनिश भवनो के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। प्रथम/(३५)/९५ अनुमोदित किया गया।

गैस (१,२५) की डी/डी
 कुल कोड की प्रतिकर-४५
 ५/६

२१/४/९५
 आवास आयुक्त

पुष्टि की गयी

(Signature)

अध्यक्ष